पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स , तिलहन संघ भवन , भोपाल
फोन नं 0755–2557727 फैक्स नं. 0755–2558899 ई–मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक / पं.रा. / बजट / 2010 / 4347 भोपाल, दिनांक 24.09.2010

कार्यालय कलेक्टर
जिला भिण्ड (म.प्र.)
शाखा C-E-02
06 MAY 2011
अधीक्षक कलेक्टर

प्रति,

1. कलेक्टर,
 जिला – समस्त,
 मध्यप्रदेश।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 जिला पंचायत – समस्त
 मध्यप्रदेश।

विषय :– **आम आदमी बीमा योजना (A.A.B.Y) का क्रियान्वयन।**

संदर्भ :– म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग (मंत्रालय), भोपाल का पत्र क्रमांक एफ–310 / 26–2 / 2008, दिनांक 10.07.2008।

D/O
Publish

–0–

भूमिहीन ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में आम आदमी बीमा योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है। जैसा कि पूर्व प्रसारित निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 200/– प्रति सदस्य का वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है, इस तरह से राशि रूपये 100/– प्रति सदस्य भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक कोष से तथा राशि रूपये 100/– प्रति सदस्य के लिये राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को जमा किये जाते है। आम आदमी बीमा योजना में सम्मिलित सदस्य की बीमा संरक्षण अवधि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष होता है। वर्ष 2010–11 के लिए योजना का नवीनीकरण किया जा चुका है।

उक्त योजना भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिये अत्यन्त लाभकारी है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की पहचान शासन के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा की जाती है।

548
9.5.11

आम आदमी बीमा योजना के लिये आवेदन–पत्र तथा शिक्षावृत्ति आवेदन–पत्र निःशुल्क प्रदाय करने की व्यवस्था पूर्व से ही है। जिले स्तर पर योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों की जानकारी निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटरीकृत कर लिया जावें। आवेदन–पत्रों एवं संकलित सूची के हार्डकॉपी व सॉफ्टकॉपी सीधे "पेंशन एवं समूह बीमा इकाई" भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल को भेजते हुये एक प्रति पंचायत राज संचालनालय को भी प्रेषित की जावें। पेंशन एवं समूह बीमा इकाई" भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल प्राप्त आवेदन–पत्रों एवं संकलित सूची की छटनी कर योजना में पंजीकृत किये गये वास्तविक सदस्यों की सूची पंचायत राज संचालनालय एवं संबंधित जिले को प्रेषित करेगें।

पात्रता हेतु शर्ते :-

1. भूमिहीन व्यक्ति की पहचान– ऐसे वास्तविक कृषक, मजदूर जो इस राज्य में कम से कम 12 वर्षो से निवासी हो तथा जिसके स्वयं के पास अथवा अपने कुटम्ब के सदस्य के साथ संयुक्त रुप से कोई भूमि नहीं हो। (कुटम्ब में वह स्वयं उसकी
पत्नी या पति/पुत्र अविवाहित पुत्रियां, माता व पिता तथा सगे और सौतेले भाई माने जावेगें)

2. आयु–हितग्राही आयु 18 से 59 वर्ष तक हो। (आयु प्रमाण–पत्र हेतु राशन कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र, शाला प्रमाण–पत्र जिनमें जन्म तिथि अंकित हो, मतदाता परिचय–पत्र/राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना का जॉबकार्ड मान्य होगे।)

3. भूमिहीन ग्रामीण मजदूर सदस्य– योजनान्तर्गत बीमा सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिए।

नोडल एजेन्सी :-

आम आदमी बीमा योजना हेतु राज्य स्तर पर पंचायत राज संचालनालय, भोपाल तथा जिला स्तर के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपने क्षेत्र की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर एकत्रित कर आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित करेगें।

हितग्राही को प्राप्त होने वाले लाभ :-

1. योजनान्तर्गत बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर लाभ का प्रावधान है।

2. योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति को एकमुश्त निम्नानुसार राशि दी जावेगी।

स्थिति	राशि
सामान्य मृत्यु होने पर	रु. 30,000/– (रुपये तीस हजार केवल)
दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रुप से पूर्ण अपंगता होने पर	रु0 75,000/– (रुपये पचहत्तर हजार केवल)
दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर	रु0 37,000/– (रुपये सैंतिस हजार केवल)

दुर्घटना का तात्पर्य :-

वाहन दुर्घटना जैसे रेल, बस या अन्य कोई भी वाहन, रासायनिक दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, सर्पदंश, जहरीला प्राणी/कीड़े द्वारा दंश, डूबकर मृत्यु, खदान में काम करते वक्त मृत्यु फेक्टरी मे काम करते समय दुर्घटना में काम करते समय दुर्घटनावश मृत्यु।

योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुश्त एड–ऑन शिक्षावृत्ति लाभ दिया जायेगा। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के अध्ययनरत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रु0 100/– की शिक्षावृत्ति दी जायेगी।

<u>दावा हेतु प्रक्रिया</u> :–

हितग्राही को आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत दावा हेतु योजनान्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में ही केवल आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र/प्रारुप ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत/के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे तथा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भर कर निम्नानुसार प्रमाण–पत्र सहित संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत में जमा करेंगे।

1. मृत्यु प्रमाण–पत्र या पोस्ट मार्टम रिपोर्ट
2. आवेदक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होने के प्रमाण–पत्र
3. पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रति
4. पुलिस फायनल रिपोर्ट

<u>दावा प्रस्तुत करने हेतु</u> :–

दावा प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत जिला पंचायत होंगे। वे प्राप्त सभी आवेदन जिले के जीवन बीमा निगम के कार्यालय को प्रेषित करते हुये भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित आवेदनों में दावा भुगतान स्वीकृति हेतु सतत प्रयास करेंगे।

<u>पूर्ण रुपेण स्थायी विकलांगता का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया</u> :–

आवेदक को दुर्घटना/अपघात/घटना घटित होने संबंधी डाक्यूमेंट्री प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सिव्हिल सर्जनया क्वालिफाइड शासकीय अस्थिरोग शल्य चिकित्सक (गर्वनमेंट आर्थोपेडिक सर्जन) अपघात से होने संबंधी प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेगे।

<u>हितग्राहियों की पहचान</u> :–

राज्य शासन ग्राम पंचायत के सलाह एवं सहयोग से इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करेगा। ऐसे सभी पहचान किए व्यक्तियों की संख्या अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिक आईडेंटिटी कार्ड परिचय पत्र जिला स्तरीय नोडल एंजेसी को उपलब्ध करायेगी। जिला नोडल एंजेसी पहचान किए गए सभी व्यक्तियों का नाम रजिस्टर में पंजीबद्ध करेंगे। इन रजिस्ट्ररों का भारतीय जीवन बीमा निगम अवलोकन कर सकेगी। अतः निगम के प्रतिनिधियो को अवलोकन हेतु रजिस्टर उपलब्ध कराया जावे

मूल्यांकन :--

योजनाओं की निरंतर मॉनीटरिंग के उद्देश्य से "पेंशन एवं समूह बीमा इकाई" भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त वास्तविक पंजीकृत हितग्राही सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में तथ्यात्मक जानकारी "पेंशन एवं समूह बीमा इकाई" भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित करेगा जिसमें विकासखण्डवार दावा प्रकरणों के भुगतान स्वीकृति, आपत्ति के साथ लौटाये गये प्रकरणों की संख्या तथा निरस्त किये गये प्रकरणों की संख्या का विवरण मुख्य रुप से शामिल होगा।

आम आदमी बीमा योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण एवं जनहितैशी योजना है, योजना का लाभ आम जन तक पहूंच सके, इस हेतु आप अपने स्तर से प्रभावी पहल करें एवं आपके अधीनस्थ समस्त जनपद पंचायतों को निर्देशित करने का कष्ट करे, कि अधिकतम पात्र जनसाधारण को योजना के दायरे में लाते हुए पात्र हितग्राहियों की संख्या निर्धारित प्रपत्र पर भारतीय जीवन बीमा निगम को शीघ्र उपलब्ध करायें।

आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(हीरालाल त्रिवेदी)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / पं.रा. / बजट / 2010 / 4348 भोपाल, दिनांक 24.09.2010

प्रतिलिपि :--

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल प्रबंधक, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संचालक संस्थागत वित्त, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, वित्त, पंचायत राज संचालनालय की ओर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

सामाजिक न्याय, संचालनालय, मध्यप्रदेश

(1250, तुलसीनगर, भोपाल–462003)
(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)
(Tollfree Helpline for Persons with Disability -**1800 233 4397**)
{ E-mail address: dpswbpl@nic.in }

क्रमांक/स्था–7/2011/937 भोपाल, दिनांक 6.5.2011

प्रति,

1– समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

2– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

3– समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय
मध्यप्रदेश ।

कार्यालय कलेक्टर
जिला भिण्ड (म.प्र.)
शाखा C. E.O. Zp
06 MAY 2011
अधीक्षक कलेक्टर

PO DNK
Publish
2
8/2

विषय :– आम आदमी बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ।

---0---

म.प्र.शासन, वित्त विभाग के आदेश क्र./660/प्रा.वि.वि./बीमा–जनश्री/आम आदमी संविसं/2011, दिनांक– 23–24 फरवरी 2011 द्वारा आम आदमी बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के क्रियान्वयन का दायित्व सामाजिक न्याय विभाग को सौंपा गया है। दिनांक 1–4–2011 के पूर्व इन योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत पंचायतराज संचालनालय द्वारा किया जा रहा था । अब यह दायित्व दिनांक 1–4–2011 से सामाजिक न्याय संचालनालय द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

542
9-5-11

2– योजनाओं के क्रियान्वयन एवं जिला स्तर पर सतत् समीक्षा एवं कार्यवाही के लिये पंचायतराज संचालनालय के ज्ञापन क्र./2010/4347–4349, दिनांक 24–9–2010 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, जिसमें योजना की रुपरेखा एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को स्पष्ट किया गया है । दोनों पत्रों की प्रतियां स्केन कर ईमेल के माध्यम से पुनः संलग्न की जा रही हैं ।

3– योजनाओं की समीक्षा समय–समय पर माननीय मुख्य मंत्रीजी/मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से की जाती है। मेरे द्वारा जिलों में निरीक्षण के समय एवं जोनल स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित कर समीक्षा की जाती हैं । पूर्व में समीक्षा के दौरान पाया गया है कि अनेकों जनपद

पंचायतों से शिक्षावृत्ति के एक भी प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित नहीं किये गये हैं । जिसके कारण पंजीकृत हितग्राहियों के कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सका है । इसी प्रकार सभी साधारण मृत्यु दावे, दुर्घटना मृत्यु/अपंगता दावे भी भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

4– इस संबंध में पंचायतराज संचालनालय के पत्र 2010/6232, दिनांक– 16 दिसम्बर 2010 के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के संभागीय स्तर पर पदस्थ अधिकारियों के नाम एवं टेलीफोन नम्बर एवं जिलेवार प्रगति की स्थिति से अवगत कराया गया था, जिसकी प्रति पुनः संलग्न है।

5– मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के हितग्राहियों के लिये आम आदमी बीमा योजना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये जनश्री बीमा योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय विभाग से किये जाने के फलस्वरुप दोनों योजनाओं की मासिक जानकारी प्रत्येक माह की 25 तारीख तक संलग्न किये जा रहे मासिक पत्रक में ई–मेल के द्वारा उपलब्ध कराई जावे। जिला स्तर पर दोनों योजनाओं की जानकारी संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय के कार्यालयों में संधारित कर जिला स्तर पर योजनाओं की सतत् मासिक समीक्षा कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के समक्ष जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के अधिकारियों के साथ की जावे । जिससे शासन की महत्वपूर्ण दोनों योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय–सीमा में मिल सके। वर्ष 2010–11 की योजनावार उपलब्धि की जानकारी संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(हीरालाल त्रिवेदी)
आयुक्त
सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / स्था–7 / 2011 / 938 भोपाल, दिनांक 06.05.2011

प्रतिलिपि

1– अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन,सामाजिक न्याय विभाग / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

2– सचिव,म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय .विभाग / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3– आयुक्त, पंचायतराज / नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

4– समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

5– संयुक्त संचालक (वित्त) सामाजिक न्याय संचालनालय / पंचायतराज संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6– श्री पुनीत कुमार संभागीय मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, पी.एण्ड जीएस यूनि, 60–ए अरेरा हिल्स,भोपाल की ओर सूचनार्थ।

7– मण्डल प्रबंधक, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई, भारतीय जीवन बीमा निगम,भोपाल की ओर सूचनार्थ।

8– समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम (जनश्री बीमा योजना) भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
सामाजिक न्याय,मध्यप्रदेश